FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

राजेश कुमार **बनाम** खेमचन्द आदि

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4, 9 सीपीसी नम्बर प्रकरण संख्या 20 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/140

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4, 9 सीपीसी, पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण संख्या 131/2022, अनवान राजेश कुमार बनाम खेमचन्द आदि, अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए में अदम पैरवी, अदम हाजरी की कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 को अपास्त कर, रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि प्रार्थी के वादपत्र के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम भी रिस्टोर किये जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि प्रार्थी द्वारा 75 दिन देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ढाई माह बाद कोई संतोषजनक कारण ना बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4, 9 सीपीसी भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर, प्रकरण संख्या 131/2022, अनवान राजेश कुमार बनाम खेमचन्द आदि, अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम को रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	